केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/327 दिनांक: 24.12.2019
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/60238
CICOM/R/2019/50909

अपीलकर्ता : श्री चन्द्रेश कुमावत,
143 एमराल्ड सिटी,
अरविन्दो होस्पीटल के पास,
उज्जैन रोड, जाखया विलेज,
सांवेर तहसील, जिला - इंदौर,
मध्य प्रदेश - 453555.

निर्णय की तारीख: 24.12.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	15.11.2019
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	22.11.2019
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.12.2019

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2019 को केन्द्रीय सूचना आयोग में ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन दाखिल किया गया था । अपीलकर्ता द्वारा ऑनलाइन प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि "No information received via POST."

आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से मांगी गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.11.2019 के ऑनलाइन आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में उपलब्ध प्रावधानों एवं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से संबंधित सूचनाएं मांगी गई थी ।

केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना का संक्षिप्त ब्यौरा:

2. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा दिनांक 22.11.2019 को पत्र सं. CICOM/R/2019/00543 के माध्यम से बिंदुवार ऑनलाइन सूचना प्रदान की गई है । प्रदान की गई सूचना में वेबसाईट लिंक देते हुए वांछित सूचना हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 एवं सूचना का अधिकार नियम, 2012 का अवलोकन करने के लिए कहा गया है एवं यह भी बताया गया है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नियम केन्द्रीय सूचना आयोग में उपलब्ध नहीं हैं ।

प्रथम अपील की सुनवाई:

3. प्रस्तुत प्रथम अपील का तर्कसंगत निस्तारण हेतु अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में दिए गए मोबाइल नं. **9907025625** पर अपीलकर्ता की दिनांक 23.12.2019 को प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई की गई जिसमें अपीलकर्ता ने बताया कि उन्हें प्रदान की गई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

निष्कर्ष एवं निर्णय:

4. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) तथा दिए गए मोबाइल नं. **9907025625** पर अपीलकर्ता को सुनने के बाद अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि **केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रेषित की गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार एवं स्पष्ट है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । अपीलकर्ता के अनुरोध पर केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. बी. जे. एस. राजप्पा द्वारा प्रदान की गई सूचना की प्रति इस आदेश के साथ पुन: संलग्न है ।**

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
24 DEC 2019
D. No.........
Initials.........

---2/-

5. तदनुसार प्रथम अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है ।

संलग्नक - प्रदान की गई सूचना की प्रति ।

(योगेश कुमार सिंघल)
संयुक्त सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष - 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

24/12/19

प्रति संलग्न ।